पत्रांक –3/एम०–162/2005सा0प्र0 10875 /

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक 24-8 2017

विषय– सरकारी सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 में निहित प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं का सम्यक अनुपालन करने के संबंध में।

महाशय,

सरकारी सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन की प्रक्रिया का विस्तृत उल्लेख बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम– 17 में किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या– 1893 दिनांक– 14.06.2011 द्वारा सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई किये जाने के संदर्भ में उक्त नियमावली में निहित प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं का सम्यक अनुसरण करने के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शन भी निर्गत किया गया है। उक्त परिपत्र की कंडिका–2(6)(7)(8) में भी प्रासंगिक नियमावली के नियम–17 के प्रावधानों का अनुपालन करने का निदेश दिया गया है।

2. परन्तु ऐसा देखा जा रहा है कि विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में वर्णित नियमावली के नियम–17 के प्रावधानों का सम्यक अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इस संदर्भ में कतिपय मामलों में माननीय न्यायालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है तथा विभागीय जाँच आयुक्त द्वारा ऐसे दृष्टान्त सरकार के समक्ष लाये गये हैं।

3. अनुरोध है कि विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या– 1893 दिनांक– 14.06.2011 में निहित निदेशों का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश सभी संबंधित को दिया जाय।

विश्वासभाजन,

23/8/17

(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव।

D:/sec-3/sadan kumar Jha/
CCA Rules, Page 1